

## -:: आदेश ::-

समूह 'ख' के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्यिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संख्या जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	रायेश्री			
1.	प्रीत कमल सिंह, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, आननगढ़	राजकीय पालीटेक्निक, धाराबंकी	स्वयं के अनुरोध पर
2.	अनुभव अत्याना, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, धाराबंकी	राजकीय पालीटेक्निक, पीलीभीत	जनहित में
3.	सुभाष चन्द्र, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	महामाया पालीटेक्निक आरू इंफ्रारमेशन टेक्नोलॉजी, अमरौहा	राजकीय पालीटेक्निक, जानसठ, मुजफ्फरनगर	स्वयं के अनुरोध पर
4.	भीमती अल्पना शर्मा, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, धाराबंकी	राजकीय महिला पालीटेक्निक, कैजाबाद	जनहित में
5.	उत्पल पाण्डेय, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय महिला पालीटेक्निक, कैजाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, धाराबंकी	स्वयं के अनुरोध पर
6.	कारोन्ट कुमार विश्वकर्मा, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, औराई, भदोही	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर	स्वयं के अनुरोध पर
7.	दिनेश कुमार विश्वकर्मा, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर	राजकीय पालीटेक्निक, धनिया, चन्दौली	जनहित में
8.	अभिषेक गुप्ता, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	तयारात गौतमबुद्ध राजकीय पालीटेक्निक, भायल्ली	छत्रपति शाहू जी महाराज राजकीय पालीटेक्निक, अम्बेडकरनगर	स्वयं के अनुरोध पर
9.	अवधेश कुमार, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, छविलाहोर बरली	एम०एम०आई०टी०, कन्नौज	स्वयं के अनुरोध पर
10.	अशोक कुमार रजक, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय महिला पालीटेक्निक, मेजा, इलाहाबाद	राजकीय महिला पालीटेक्निक, धाराबंकी	जनहित में
11.	डा० शर्मिला प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	माल्यपुर काशीराम राजकीय पालीटेक्निक, कन्नौज	राजकीय महिला पालीटेक्निक, बरेली	स्वयं के अनुरोध पर
12.	सुभाकर, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, शाहजहाँपुर	राजकीय पालीटेक्निक, कुरी रोड, फतेहपुर, धाराबंकी	स्वयं के अनुरोध पर
13.	भीमती रूपाली गुप्ता, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, कुरी रोड, फतेहपुर धाराबंकी	राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ	स्वयं के अनुरोध पर



उपरोक्त में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त संदर्भित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोफने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक-29.03.2018, पत्रांक-4/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक-03.04.2018 एवं शासन के पत्रांक-569/सोलह-2-2018-7(ई)/2018, दिनांक-05.04.2018 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

( आर०सी० राजपूत )  
निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश।

9647-9752  
प०सं०-

- कानपुर : दिनांक: 31 मई, 2018
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
  2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
  3. निजी सचिव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
  4. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ।
  5. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, कानपुर।
  6. गित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।
  7. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, दौराला (मेरठ)/मध्य क्षेत्र, लखनऊ/पूर्वी क्षेत्र, धारणसी/बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी।
  8. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
  9. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
  10. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  11. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, राजकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थाएँ, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपनी संस्था से संबंधित कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर गयीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब सूचित करें।
  12. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था प्रधानाचार्य।
  13. प्रकरण सहायक (सेवा संबंधी), स्थापना अनुभाग।

( डी०के० वर्मा )  
उप निदेशक  
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।